<u>प्रकरण संख्या 44/2016 देवीलाल व अन्य बनाम श्रीमती लाली व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में सुनी गयी बहस एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.03.2016 को पत्रावली दिनांक 30.05.2016 के लिए नियत की गयी। इसके बाद पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प बड़वास छोटी पर दिनांक 23.06.2016 को रखी गयी, जिसकी किसी प्रकार की सूचना प्रतिवादी/अपीलान्टगण को दिये जाने, उन्हें नोटिस दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा उक्त दिनांक को कैम्प में प्रतिवादी/अपीलान्टगण को बिना सुने उनके विरूद्ध एकतरफा पंचायत के सजरे के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.06.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	